



जोधपुर

वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम/ 267

**विद्युत वितरण
निगम लि०**

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

{वाणिज्य विभाग}

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651355 (का) फेक्स नं० 2651355

क्रमांक:- प्रनि/जोविनिनि/अनु-मु.अ./सीपीएम/अ.अ./पत्रावाणिज्य/प्रे०सं० 88 जोधपुर दिनांक 27/04/05

आदेश

विषय:- ओलावृष्टि के कारण लघु एवम् सीमान्त कृषि उपभोक्ताओं को बिलिंग माह फरवरी एव मार्च 2005 के विद्युत बिलों की वसूली मुक्त करने बाबत।

माह फरवरी एवं मार्च 2005 में जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से रबी की फसल को काफी क्षति पहुँची है। ऐसे गांवों का आकलन राज्य सरकार के सहायता विभाग द्वारा करवाया जाकर इन गांवों को ओलावृष्टि प्रभावित गांव घोषित किया गया है। इस संदर्भ में शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कास्तकारों के माह फरवरी व मार्च 2005 के बिजली के बिलों को वसूली से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः ऐसे ओलावृष्टि प्रभावित गांवों के लघु एवम् सीमान्त कास्तकारों से बिलिंग माह फरवरी व मार्च 2005 के बिजली बिलों की वसूली नहीं की जावे तथा जिन कास्तकारों द्वारा उक्त माहों के बिजली के बिलों की राशि जमा करवा दी गई है उस राशि का समायोजन आगामी बिलों की राशि में किया जावे।

उक्त बिजली के बिलों में दी गई छूट की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार के सहायता विभाग द्वारा किया जावेगा।

(र.च.एस.देवड़ा)

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ❖ सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- ❖ मुख्य अभियन्ता (जो/जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एंव लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ संस्थागत मुख्य अभियन्ता (बी जोन) जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को राज्य सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./पी.पी.एण्ड एम./पदार्थ प्रबन्ध/एमएण्डपी/आर.ई.आर.सी.टी. डब्लू/बीएफएल)जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/ बाड़मेर/बीकानेर / जैसलमेर / चुरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़
- ❖ निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- ❖ सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर
- ❖ प्रावै.सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्कॉम, विद्युत भवन जनपथ जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ हेतु।
- ❖ अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
(आप के अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपिये संलग्न है।)
- ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला वृत्त/परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण/ वाणिज्य/ सीपीसी एण्ड रोकड), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- ❖ कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर, ratification हेतु।
- ❖ प्रावै.सहा.माननीय प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम जोधपुर/जयपुर/अजमेर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- ❖ अधिशाषी अभियन्ता(/पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण)जोविनिनि.....
(आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतिलिपि संलग्न है।) को इस निर्देश के साथ कि राज्य सरकार के सहायता विभाग द्वारा घोषित ओलावृष्टि प्रभावित गांवों में ही उपरोक्त छूट प्रदान करे।
- ❖ प्रावै.सहा., मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- ❖ जनसम्पर्क अधिकारी, जोविनिनि, जोधपुर

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।